राष्ट्रपतीय निर्वाचन/तत्काल
विशेष संदेशवाहक/ स्पीड पोस्ट/कैम्प बैग द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

सं.479/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या./राष्ट्रपतीय निर्वा.-9 द्विवार्षिक/2017 दिनांक: 19 जून, 2017

सेवा में,

सभी संसद सदस्य
(संलग्न सूची के अनुसार)

विषय: राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017-संसद सदस्यों द्वारा राज्य की राजधानी में मत देने का आशय-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

आपको यह सूचित किया जाता है कि राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचनों के नियम-1974 के अंतर्गत, भारत निर्वाचन आयोग ने उन मतदान स्थानों और निर्वाचकों के समूह को विनिर्दिष्ट किया है, जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन, 2017 में ऐसे मतदान स्थानों में मतदान करने के पात्र होंगे(प्रति संलग्न)। कमरा संख्या 62, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 को विभिन्न मतदान स्थानों में से एक स्थान के रूप में नियत किया गया है और संसद के निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचकों के समूह के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जो उक्त मतदान स्थान पर मतदान करने के पात्र होंगे। तथापि, अपरिहार्य कारणों एवं परिस्थितियों की तात्कालिक आवश्यकताओं की वजह से, यदि आप मतदान की तारीख को नई दिल्ली में उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो आप राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित मतदान स्थानों मे से किसी में भी राष्ट्रपतीय निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का विकल्प चुन सकते हैं।

2. इस प्रयोजनार्थ, यह आवश्यक होगा कि आपका इस आशय का औपचारिक अनुरोध कि आप नई दिल्ली में संसद भवन में मतदान केन्द्र पर मत नहीं देना चाहते हैं बल्कि इस संबंध में आपके द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार निर्धारित अनुरोध प्रपत्र में राज्य की राजधानियों में से किसी एक राजधानी में मत देना चाहते हैं तो आपका निर्धारित अनुरोध प्ररूप, निर्वाचन आयोग के पास मतदान की तारीख से कम से कम 10(दस) दिन पहले पहुंच जाना चाहिए। आपके अनुरोध की प्राप्ति और आयोग द्वारा इसकी अभिस्वीकृति के उपरान्त, नई दिल्ली मे राष्ट्रपतीय निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारी और राज्य की राजधानी जहां आप मतदान करना चाहते हैं, के संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को आयोग द्वारा तत्काल सूचित किया जाएगा ताकि संबंधित राज्य की राजधानी में आपके मतदान के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा सकें।

3. मतदान की तारीख पर राज्य की राजधानी में मतदान के स्थान पर मतदान के संचालन के लिए आप अपने पहचान पत्र को या तो सहायक रिटर्निंग अधिकारी-सह पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे या उनकी संतुष्टि के लिए उनके समक्ष स्वयं का अन्यथा अभिज्ञान करवाएंगे और वह उस स्थान पर आपका मत डालने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे।

4. कृपया यह ध्यान में रखें कि राज्य की किसी राजधानी में मत डालने का आवेदन दिए जाने और आयोग द्वारा इसे स्वीकृत कर लिए जाने के पश्चात, यह अंतिम होगा और इस संबंध में और आगे किसी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. इस प्रयोजन के लिए इसके संलग्न अनुरोध प्ररूप का उपयोग किया जाए और समय पर इसे आयोग को भेजा जाए। यदि आपका अनुरोध समय पर प्राप्त होता है तो आपको अनुमति की स्वीकृति के संबंध में सूचना आपके पते पर स्पीड पोस्ड द्वारा भेज दी जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको सलाह दी जाती है कि आप दिल्ली में रिटर्निंग अधिकारी या राज्य की राजधानी में सहायक रिटर्निंग अधिकारी या आयोग से स्थिति की पुष्टि कर लें।

भवदीय,

(वरिन्दर कुमार)
प्रधान सचिव

सूचना के लिए प्रतिलिपि प्रेषित:-

(i) राष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी और महासचिव, लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली को सूचना के लिए।

(ii) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, (प्ररूप की नमूना प्रति के साथ)

(iii) राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी(संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से)।

राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 में राज्य की राजधानियों में मतदान करने की अनुमति प्रदान करने हेतु संसद सदस्य से आवदेन प्ररूप

प्रेषक:

श्री/श्रीमती/कु...

*राज्य सभा/लोक सभा सदस्य..

सेवा में,

श्री वरिन्दर कुमार
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001

(दूरभाष:011-23052242, ई-मेल आईडी: varinderkr@eci.gov.in)

राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के मतदान की तारीख को चूंकि मैं नई दिल्ली में नहीं होऊँगा, इसलिए मुझे निम्नलिखित स्थान पर मतदान केन्द्र में मतदान करने की अनुमति प्रदान की जाए:

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम:
राजधानी शहर:

2. यदि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मुझे अनुमति दी गई तो मैं सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जो उपर्युक्त राज्य/संघ शासित क्षेत्र की राजधानी में मतदान के स्थान पर पीठासीन अधिकारी हैं, के समक्ष या तो अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करूंगा या स्वयं का अभिज्ञान करवाऊंगा।

दिनांक:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

*उन शब्दों को काट दें जो लागू नहीं हैं।